रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2015/चैत्र 17, 1937
No. 739] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2015 /CHAITRA 17, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2015

सं. 2/2015–2020

विषय : प्याज की निर्यात नीति–न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में कमी।

का.आ. 964(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.3.2014 की अधिसूचना सं. 73 (आरई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 21.08.2014 की अधिसूचना सं0 91 (आरई–2013)/2009–14 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 21.08.2014 की अधिसूचना सं. 91 (आरई–2013)/2009–14 के संशोधित पैरा 2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 एवं 52 में मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात 250 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात 250 यूएस डालर प्रति मीट्रिक टन (पूर्व के 300 यूएस डालर प्रति मीट्रिक टन न्यूनतम निर्यात मूल्य से घटाकर) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन होगा

[फा.सं. 01/91/180/922/एएम08/पीसी III/निर्यात प्रकोष्ठ]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2015

No. 2 /2015-2020

Subject:- Export Policy of Onions—reduction in Minimum Export Price (MEP).

S.O. 964(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 91 (RE- 2013)/2009-14, dated 21.08.2014 read with Notification No. 73 (RE- 2013)/2009-14, dated 12.03.2014 relating to export of onion.

2. The amended para 2 of Notification No. 91 (RE- 2013)/2009-14, dated 21.08.2014 will now read as:

> "Export of onion for the item description at Serial Number 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be permitted subject to a Minimum Export Price (MEP) of US $ 250 per Metric Ton F.O.B. or as notified by DGFT from time-to-time".

3. Effect of this notification:

Export of all varieties of onions as described above will be subject to a Minimum Export Price (MEP) of US $ 250 per MT (reduced from MEP of US $ 300 per MT earlier).

[F. No. 01/91/180/922/AM08/PC-III/Export Cell]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.